भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2716
05 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

कर्नाटक में किसानों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

2716. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत कर्नाटक में तालाबों और टैंकों में गहन जलकृषि के लिए कोई प्रोत्साहन योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि संवितरित की गई है,
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में जलकृषि किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु बजट में वृद्धि की आवश्यकता है; और
(घ) कर्नाटक में तालावों और टैंकों में जलकृषि करने वाले जलकृषि किसानों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत, तालाबों और टैंकों सहित गहन जलीय कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। विगत पाँच वर्षों के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार की 1058.98 करोड़ रुपए की मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। स्वीकृत गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ गहन जलकृषि को बढ़ावा देने वाले हस्तक्षेप शामिल हैं जैसे नए मीठे पानी/खारे पानी और समुद्री हैचरी (19 यूनिट्स) का निर्माण, जलकृषि के तहत तालाबों और टैंकों के माध्यम से क्षेत्र विस्तार (2205 हेक्टेयर), मीठे और खारे पानी में बायोफ्लोक तालाबों के माध्यम से क्षेत्र विस्तार (351.4 हेक्टेयर), जलाशयों में फिंगरलिंग्स का भंडारण (346.27 हेक्टेयर), जलाशय में केज (700 यूनिट्स), सजावटी मत्स्यपालन और प्रजनन यूनिट्स (79 यूनिट्स), री सरकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम्स के माध्यम से पालन (713 यूनिट्स), मात्स्यिकी को सुविधाजनक बनाने के लिए मत्स्य सेवा केंद्र विस्तार सेवाएं (7 यूनिट्स)। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार को वितरित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु/- लाख में)

क्रम सं	**वित्तीय वर्ष**	**प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वितरित धनराशि**
(i)	2022-23	6608.00
(ii)	2023-24	2981.36
(iii)	2024-25	3793.06

(ग) और (घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार कर्नाटक सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह पर्याप्त बजटीय प्रावधानों के साथ जलीय कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता देता है। PMMSY के तहत परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत समेकित प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, तालाबों और टैंकों में जलीय कृषि गतिविधि के लिए और मछुआरों और मत्स्य किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा का विस्तार किया गया है ताकि उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड (FIDF) भी बनाई गई है जिसके अंतर्गत मछुआरों, जलीय कृषि किसानों को जलीय कृषि सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए रियायती वित्तपोषण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

*****